

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2014 प्र.सूरि.स 06 दिनांक 27.03.2014

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

3.(क) घटना का दिन वीरवार दिनांक से दिनांक 27.03.2014

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 27.03.2014 समय 4.00 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 5 समय 4.00 पी0एम0

4. (सूचनाकैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसॅंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) दक्षिण पूर्व - लगभग 80

(ख) पता : बिजली बोर्ड पलवल।

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) शहर पलवल, जिला पलवल।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :- नरेश कुमार

(क) मौहम्मद आयूब (ख) (पिता/पति का नाम) शेर सिंह

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ङ) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) मेहनत मजदूरी (पता) नई बस्ती सालागढ पलवल।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. टेकचन्द क्लक डी.एच.वी.बी.एन.एल
पलवल।

सेवा में, श्रीमान इन्सपैक्टर साहब विजीलैसं फरीदाबाद श्री मान जी निवेदन है कि मैं नरेश कुमार सपुत्र शेर सिंह निवासी नई बस्ती सल्लागढ जिला पलवल का रहने वाला हूँ, जो हमारे घर का मीटर न0 5263 है जो मेरी माता श्रीमति औमवती के नाम है जो हमारा बिजली का मीटर बिजली बोर्ड के रिकार्ड में खराब दिखाया हुआ है, जो इस बारे मैंने एक दरखास्त 24.3.2014 को बिजली बोर्ड में दी थी। जिस पर लाईन मैन ने मीटर को चैक करके अपनी रिपोर्ट जे.ई को दे दी जो हमारा मीटर ठीक पाया गया जिस पर जे.ई ने मुझे टेकचन्द क्लक के पास भेजा दिया जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे हमारा मीटर रिकार्ड

में ठीक करने के बदले 2000 रू रिश्वत मांगे जो मैंने काफी उससे विनती की तो वह 1500/-रू लेने में राजी हो गया और रिश्वत के 1500/-रू लेने के लिये आज का समय दिया है जो मैं उससे रिश्वत देना नहीं चाहता परन्तु बिना रिश्वत लिये टेकचन्द कर्लक हमारा काम नहीं करेगा मेरा टेकचन्द कर्लक के साथ कोई पैसे का लेन देन नहीं है और नाहि उससे कोई जाति दुश्मन है कृपया करके इस भ्रष्ट कर्लक के साथ कानूनी कार्यवाहयी की जावे हस्ता नरेश कुमार अग्रेंजी-हिन्दी सपुत्र शेर सिंह निवासी नई बस्ती सलागढ जिला पलवल मौ0 न 9511430094 कार्यवाही पुलिस :- आज मन निरीक्षक एस.वी.बी यूनिट फरीदाबाद में हाजिर हूँ कि नरेश कुमार सपुत्र शेर सिंह उपरोक्त ने हाजिर आकर एक लिखित दरखास्त टेकचन्द कर्लक बिजली विभाग द्वारा रिश्वत में 1500/-रू मांगने बारे मेरे को पेश की मजबूत दरखास्त से उपरोक्त के विरुद्ध सरेदस्त जुर्म 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाया गया। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 रोशन लाल न0 1108/फरीदाबाद के थाना एस.वी.बी गुडगांव भिजवाई जा रही है। नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे, स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट की सेवा में भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय एस.आई दलबीर सिंह एच.सी विजय कुमार सि. जगेश कुमार बा स्वारी गाडी एच.आर 68/8353 मय चालक लक्खा सिंह मय मुदई व तफतीशी बैग के रवाना उपायुक्त कार्यालय का होता हूँ। अज : एस.वी.बी यूनिट फरीदाबाद हस्ताक्षरी अग्रेंजी नि0 सर्मथ सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र फरीदाबाद दिनांक 27.3.2014 समय 2.5 पी.एम अज थाना : आमदा तहरीर पर मुकदमा न0 6 दिनांक 27.3.2014 धारा 7 पी.सी एक्ट थाना रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव।

हस्ता हिन्दी/- जगदीश चन्द्र
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगदीश चन्द्र
पद : निरीक्षक
सख्यां : 141/एच0ए0पी0
दिनांक 27.03.2014 समय 5.30 पी.एम

